

Order No:- 386L/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)  
18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUBOGEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

**सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश**

माननीय सांसद **Shri Santosh Kumar Gangwar** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 430 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	ARADHYA RUHELA	SH. RAJEEV RUHELA MOB- 9634754323	5	NO.2 JLA CANTT.
2	PARKHI MISHRA	SH. TARUN KUMAR MISHRA MOB- 9411472385	6	NO.2 JLA CANTT.
3	TANIYA GANGWAR	SH. KULDEEP GANGWAR MOB- 9927411940	1	AIR FORCE
4	PARTH YADUVANSHI	SH. DEVESH KUMAR MOB- 9627080622	3	NER
5	SHATAKSHI	SH. RAHUL GANGWAR MOB- 9012598888	2	IVRI
6	ANUSHKA BISHT	SH. AMIT SINGH BISHT MOB- 8057587495	1	NO.2 JLA CANTT.
7	DEV SINGH	LATE SH. SANDEEP SINGH MOB- 8445698827	4	NO.2 JLA CANTT.
8	NAVYA JOHRI	SH. NITIN JOHRI MOB- 7599956546	5	IVRI
9	PAYAL	SH. SURENDRA KUMAR MOB- 9720856856	5	JRC CANTT
10	SARTHAK	SH. JAIDEEP GANGWAR MOB- 8006203082	2	IVRI

कृ. पृ. उ.

*(Handwritten signature)*

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Shri Santosh Kumar Gangwar माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **LUCKNOW** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)